प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –371/2023

अनवान : –

1. महावीर प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ख्यालीराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. श्योकरण पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. भंवरी देवी पुत्री आदूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. रायसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
5. दीपूराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
6. कल्पना पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 01.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 के ख0न0 139/3 की 2.3330 हैक्ट भूमि जिसके वादी के दादा आदुराम पुत्र गोपाल खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 8/8 के ख0न0 128/2 की 8.3110 हैक्ट भूमि में आदुराम पुत्र गोपाल 1/3 हिस्सा भूमि, ख्यालीराम पुत्र आदुराम 1/3 हिस्सा भूमि, श्योकरण पुत्र आदुराम 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 38/38 के ख0न0 13/1 की 1.4300 हैक्ट ख0न0 13/8 की 0.8220 हैक्ट भूमि के ख्यालीराम पुत्र आदुराम खातेदार काश्तकार है।

वादी के दादा आदुराम पुत्र गोपाल की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी धर्मपत्नी अणची पत्नी आदुराम का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं उनके वारिसान प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 है तथा वादग्रस्त भूमि के हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान है इसलिए रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 8/8 की कुल 8.3110 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 2.3330 हैक्ट भूमि के प्रतिवादी स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 38/38 की कुल 9.3830 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 अकेला खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 4 ता 7 बहिब एवं प्रतिवादी स0 2 एवं प्रतिवादी स0 3 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया स0 3 जो की प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 की बहिन है एवं प्रतिवादीगण स0 6 ता 7 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 4 व 5 की बहिन एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है। प्रतिवादीया स0 3, 6 व 7 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 2.3330 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1, 4 व 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं शेष भूमि का प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 8/8 की कुल 8.3110 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1, 4 व 5 बहिब 4/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 4/9 व प्रतिवादी स0 3 अकेला 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 38/38 की कुल 9.3830 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी स0 5 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदाकर काश्तकार है एवं मृतक आदुराम का नाम कलमजन करवाकर वादी उपरोक्तानुसार न्यायालय से घोषणा करवा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 7 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा राणीसर खाता संख्या 38/38 व 11/11 तथा 8/8 सम्वत 2074–77 प्रदर्श–1 ता 3, मिलान क्षेत्रफल ईएक्सपी–4, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–5, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक आदुराम प्रदर्श–6, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक अणची प्रदर्श–7, मिसल बंदोबस्त सम्वत 2029 ता 38 प्रदर्श–8, जमाबंदी रोही मौजा राणीसर सम्वत 2017 से 2017 दो प्रति प्रदर्श–9, सरपंच ग्राम पंचायत जबरासर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–10 आदि प्रदर्शित करवायें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकीह की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी का बहिब हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 के ख0न0 139/3 की 2.3330 हैक्ट भूमि जिसके वादी के दादा आदुराम पुत्र गोपाल खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 8/8 के ख0न0 128/2 की 8.3110 हैक्ट भूमि में आदुराम पुत्र गोपाल 1/3 हिस्सा भूमि, ख्यालीराम पुत्र आदुराम 1/3 हिस्सा भूमि, श्योकरण पुत्र आदुराम 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 38/38 के ख0न0 13/1 की 1.4300 हैक्ट ख0न0 13/8 की 0.8220 हैक्ट भूमि के ख्यालीराम पुत्र आदुराम खातेदार काश्तकार है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 एवं मृतक आदुराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 7 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 7 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 2.3330 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1, 4 व 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष भूमि का प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 8/8 की कुल 8.3110 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1, 4 व 5 बहिब 4/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 4/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 3 को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 38/38 की कुल 9.3830 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी को,

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को, 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 4 को, 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 5 को खातेदाकर काश्तकार घोषित किया जाता है। आदुराम पुत्र गोपाल का नाम जमाबंदी से कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/06/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –371/2023

अनवान : –

1. महावीर प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ख्यालीराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. श्योकरण पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. भंवरी देवी पुत्री आदूराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
4. रायसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
5. दीपूराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
6. कल्पना पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 371 सन 2023 निर्णय दिनांक 01.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 11/11 की कुल 2.3330 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1, 4 व 5 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष भूमि का प्रतिवादी स0 2 व प्रतिवादी स0 3 प्रत्येक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 8/8 की कुल 8. 3110 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1, 4 व 5 बहिब 4/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं प्रतिवादी स0 2 अकेला 4/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 3 को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 38/38 की कुल 9.3830 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि का वादी को, 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को, 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 4 को, 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आदुराम पुत्र गोपाल का नाम जमाबंदी से क[illegible] किया जा[illegible] है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/–[illegible] का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested